

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

16/2/12

आर० एम० वाद संख्या :- 58/11-12

अर्जुन मुण्डा बनाम राम रतन चौक बडाईक

धारा 46, छोटानागपूर कास्ताकारी अधिनियम

आवेदक/आवेदिका अर्जुन मुण्डा पिता/प्रति स्त० सोहराई

ग्राम:- बुण्डू थाना:- बुण्डू अनुमण्डल बुण्डू

जिला:-राँची ने आवेदन देकर सूचित किया है कि वे अपनी निम्नलिखित, खतियानी जमीन

विपक्षी राम रतन चौक बडाईक पिता/प्रति श्री वासुदेव चौक बडाईक

ग्राम:- खाना टोली बुण्डू थाना:- बुण्डू अनुमण्डल बुण्डू, जिला:-राँची

को विक्रय करना चाहते हैं।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहददी
ना३	27	67	1628	3.37	गएजे 0.10

आवेदक ने अनुरोध किया है कि उपरोक्त जमीन छोटानागपूर कास्ताकारी अधिनियम की धारा-46 के तहत विक्रय करने की स्वीकृति दी जाए। आवेदन पंजीकृत करेंगे। अंचल अधिकारी, बुण्डू को विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन मांगें।

अभिलेख दिनांक:- 3/3/12 को उपस्थित करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

बुण्डू, राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

बुण्डू, राँची।

16/2/12

कमिन्स्रेष उपस्थापित। जॉन्स प्रविवेदन एवं वामिल प्रविवेदन प्राप्त। कमिन्स्रेष दिनांक 13/3/12 को उपस्थापित करें।


13/3/12

13/3/12

कमिन्स्रेष उपस्थापित। जॉन्स प्रविवेदन एवं वामिल प्रविवेदन प्राप्त। कमिन्स्रेष दिनांक 9/4/12 को उपस्थापित करें।


13/3/12

9/4/12

कमिन्स्रेष उपस्थापित। जॉन्स प्रविवेदन एवं वामिल प्रविवेदन प्राप्त। कमिन्स्रेष के साथ संलग्न करें। बयान हेतु कमिन्स्रेष दिनांक 19/4/12 को उपस्थापित करें।


13/4/12


19/4/12

कमिन्स्रेष उपस्थापित। विक्रेता का बयान दर्ज कर पद कर सुनाया गया। कैंट वर विक्रेता के कंभूठ का निशान लिया गया। कमिन्स्रेष कादेशाचर दिनांक 28/4/12 को रखें।


13/4/12

28/4/12

कमिन्स्रेष उपस्थापित। कौचल अधिकारी बुजु के जॉन्स प्रविवेदन एवं अनुशीला के आजाद में तथा विक्रेता के बयान के आधार पर कौचल का अधिनियम की धारा 46 के तहत मामल विकस्य करने की अनुमति बुद्धन की जाये।


28/4/12